संख्याः 1964 / VII-II-09 / 88–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त,2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्याः 515 / XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता योजनान्तर्गत **रू0 30,00,000 / –(रू0 तीस लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्यस्ता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय गोपन अनुभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।यदि स्वीकृत धनराशि से फर्नीचर / उपकरण आदि का क्रय किया जाता है तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर आदि का क्रय सूचना प्राद्योगिकी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन किया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2010 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– उपरोक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि का राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास सलाहकार समिति के पक्ष में उनके आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 19–राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या: 313/XXVII(1)/2009 दिनांक: 21 अगस्त 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1964/VII-II-09/88–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।